

अध्याय 3

3. अनुपालन लेखा परीक्षा

शासकीय विभागों एवं उनके क्षेत्रीय संगठनों तथा स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखा परीक्षा ने संसाधनों के प्रबन्धन में चूक, औचित्य एवं मितव्ययिता के मानकों के पालन में विफलता के दृष्टान्त प्रकट किये। इन्हें निम्नलिखित प्रस्तरो में प्रस्तुत किया गया है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

3.1 बिल्डरों को अनुचित लाभ

प्राधिकरण ने राज्य सरकार के आदेशानुसार क्रय योग्य त0क्षे0अ0 चार्ज न लगाते हुए बिल्डरों को अनुचित लाभ पहुँचाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.29 करोड़ की हानि हुई।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने राज्य सरकार के आदेशानुसार बिना क्रय योग्य त0क्षे0अ0 चार्ज आरोपित किये समूह आवास के निर्माण हेतु मानचित्र पास किए जिसके कारण बिल्डरों को अनुचित लाभ हुआ एवं प्राधिकरण को ₹ 6.29 करोड़ की हानि हुई।

उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 57 के तहत अनुमोदित भवन उपविधि-2008, जो गाजियाबाद के क्षेत्रों में भवनों के निर्माण को नियमित करती है, के अनुसार गाजियाबाद के विकसित क्षेत्र में समूह आवास निर्माण हेतु 1.5 तल क्षेत्र अनुपात (त0क्षे0अ0 प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र एवं भूमि के वास्तविक क्षेत्र के मध्य अनुपात है) अनुमन्य होगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वैशाली योजना विकसित क्षेत्र में स्थित है।

उत्तर प्रदेश सरकार (शासन) ने प्राधिकरण के वैशाली योजना के विकसित क्षेत्र में समूह आवास के निर्माण हेतु बेसिक त0क्षे0अ0 1.5 से बढ़ाकर 2.5 तक इस शर्त के साथ कर दिया (अगस्त 2009) कि पूर्व में निर्गत (सितम्बर 2008) की अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सितम्बर 2008 की अधिसूचना के अनुसार विकसित क्षेत्र में समूह आवास निर्माण हेतु 2.5 त0क्षे0अ0 क्रय योग्य त0क्षे0अ0 होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना (अगस्त 2011) में पुनः दोहराया गया की वैशाली योजना में 1.5 से अधिक तथा 2.5 तक त0क्षे0अ0 दिये गये निर्धारित फार्मूला¹ द्वारा गणना की गई शुल्क के भुगतान के उपरान्त अनुमन्य होगी।

हमने लेखा परीक्षा के दौरान देखा (मार्च 2014) कि प्राधिकरण ने 2,657 वर्ग मीटर का एक भूखण्ड नन्दिनी बिल्डहोम कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड (एनबीसीपीएल) को ₹ 19.55

¹ त0क्षे0अ0 = क्रय योग्य तल क्षेत्र x प्रचलित भूमि की दर x 0.40 (समूह आवास हेतु गुणांक)/2.5

करोड़² में नीलाम किया (मई 2011) तथा एक अन्य 4,000 वर्ग मीटर का भूखण्ड थापर बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड (टीबीपीएल) को ₹ 13.20 करोड़³ में आवंटित किया (सितम्बर 2011)। तदनुसार प्राधिकरण ने दो अनुबन्ध निष्पादित किये (एनबीपीसीएल) (अक्टूबर 2011) तथा टीबीपीएल (दिसम्बर 2011)। यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार के सितम्बर 2008 के अधिसूचना के अनुसार 1.5 तथा 2.5 के मध्य त0क्षे0अ0 क्रय योग्य के रूप में अनुमन्य था, फिर भी प्राधिकरण अनुबन्ध में उपयुक्त उपवाक्य जोड़ने में विफल रहा और राज्य सरकार के निर्देश के विरुद्ध बिना क्रय योग्य त0क्षे0अ0 चार्ज आरोपित किये हुए 2.5 का निःशुल्क त0क्षे0अ0 अनुमन्य किया।

इस प्रकार, एनबीपीसीएल और टीबीपीएल अपने भूखण्ड साईज के 1.5 तक निःशुल्क त0क्षे0अ0 के लिए हकदार थे जो कि क्रमशः 3,968 वर्ग मीटर एवं 6,000 वर्ग मीटर था। फिर भी प्राधिकरण ने क्रमशः 2.49 (6,610 वर्ग मी0) तथा 2.5 (10,000 वर्ग मी0) का निःशुल्क त0क्षे0अ0 प्रदान करते हुए समूह आवास हेतु मानचित्र पास⁴ किया। यह अनुमन्य निःशुल्क त0क्षे0अ0 से अधिक त0क्षे0अ0 पर ₹ 6.29 करोड़ के क्रय योग्य त0क्षे0अ0 शुल्क न लिए जाने में परिमाणित हुआ (₹ 3.09 करोड़⁵ एनबीपीसीएल से तथा ₹ 3.20 करोड़⁶ टीबीपीएल से)। यह बिल्डरों को अनुचित लाभ पहुँचाने में भी परिणत हुआ।

प्राधिकरण ने बताया (अगस्त 2015) कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर क्षेत्र की योजनाओं में भूमि के अधिकतम उपभोग हेतु बेसिक त0क्षे0अ0 2.5 का अनुमोदन किया (अगस्त 2009) था। इस प्रकार आबंटियों के साथ हुए अनुबन्धों में 2.5 का त0क्षे0अ0 अनुमन्य किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश (अगस्त 2009) के प्रस्तर संख्या 2(2) में यह साफ उल्लेखित है कि सितम्बर 2008 के शासनादेश में दी गयीं शर्तों का पालन किया जायेगा और सितम्बर 2008 का आदेश यह बताता है कि विकसित क्षेत्र में समूह आवास के निर्माण हेतु 2.5 त0क्षे0अ0 क्रय योग्य होगा। इस प्रकार प्राधिकरण को क्रय योग्य त0क्षे0अ0 चार्ज आरोपित करने हेतु अनुबन्ध में एक उपयुक्त उपवाक्य शामिल करना चाहिए था।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार (सितम्बर 2008) प्राधिकरण ने क्रय योग्य त0क्षे0अ0 आरोपित न करते हुए बिल्डरों को अनुचित लाभ पहुँचाया एवं ₹ 6.29 करोड़ की हानि वहन की।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित (जून 2015) किया गया, उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2015) है।

² पट्टे का किराया एवं फ्रीहोल्ड शुल्क को छोड़कर।

³ पट्टे का किराया एवं फ्रीहोल्ड शुल्क को छोड़कर।

⁴ मानचित्र सं0 1079/जोन-2/64/11-12 दिनांक 23.03.2012 (एनबीपीसीएल) तथा मानचित्र सं0 731/694/जोन-6/2012-13 दिनांक 11.10.2013 (टीबीपीएल)।

⁵ (दिया गया त0क्षे0अ0 6,610 वर्ग मी0 घटाया अनुमन्य त0क्षे0अ0 3,986 वर्ग मी0 = 2,624 वर्ग मी0 x ₹ 73,598 x 0.40/2.50)

⁶ (दिया गया त0क्षे0अ0 10,000 वर्ग मी0 घटाया अनुमन्य त0क्षे0अ0 6000 वर्ग मी0 = 4000 वर्ग मी0 x ₹ 50,000 x 0.40/2.50)

3.2 भूमि दर के गलत निर्धारण के कारण हानि

भूमि दर के गलत निर्धारण के कारण, व्यावसायिक सम्पत्तियों की नीलामी में प्राधिकरण को ₹ 1.10 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश (नवम्बर 1999) के विरुद्ध, मेरठ विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) पूर्ण रूप से विकसित अथवा नगर निगम को हस्तान्तरित योजनाओं के आवासीय भूमि की दर को जिलाधिकारी की दर के अनुसार निर्धारित करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकरण को तीन व्यावसायिक भूखण्डों की नीलामी में ₹ 1.10 करोड़ की हानि हुई।

उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश (फरवरी 1996) के अनुसार व्यावसायिक भूखण्डों की बिक्री नीलामी के माध्यम से की जायेगी तथा इनका आरक्षित मूल्य आवासीय भूमि की दर से दोगुना निर्धारित की जायेगी। प्राधिकरणों के सम्पत्तियों की लागत निर्धारण से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश सरकार के आदर्श मार्गदर्शिका (नवम्बर 1999) के अनुसार पूर्ण रूप से विकसित अथवा नगर निगम को हस्तान्तरित योजनाओं के भूमि की दर जिलाधिकारी द्वारा घोषित दर के बराबर निर्धारित किया जाना चाहिए।

प्राधिकरण ने 2014-15 के लिए अपनी समस्त योजनाओं के लिए आवासीय भूमि की दर को निर्धारित किया (मार्च 2014)। यद्यपि जिलाधिकारी, मेरठ ने सर्कल रेट का पुनरीक्षण कर दिया था जो 01 अगस्त 2014 से प्रभावी था, फिर भी प्राधिकरण इसके अनुसार पूर्ण रूप से विकसित अथवा नगर निगम को हस्तान्तरित योजनाओं में आवासीय भूमि के दर को पुनः निर्धारित करने में असफल रहा।

हमने, प्राधिकरण के लेखा परीक्षा के दौरान, देखा (फरवरी 2015) कि प्राधिकरण ने अगस्त 2014 से दिसम्बर 2014 के दौरान स्पोर्ट्स गुड्स काम्प्लेक्स, रक्षापुरम और श्रद्धापुरी योजनाओं में, जो या तो पूरी तरह से विकसित थी या नगर निगम को हस्तान्तरित की जा चुकी थी⁷, तीन व्यावसायिक भूखण्डों को नीलामी के माध्यम से बेचा। जिलाधिकारी के सर्किल रेट के अनुसार भूमि की दर पुनः निर्धारित न किये जाने के कारण, नीलाम किये गये भूखण्डों का आरक्षित मूल्य भी कम निर्धारित हुआ। यह प्राधिकरण को ₹ 1.10 करोड़ के हानि के रूप में परिणत हुआ (परिशिष्ट-3.1)।

प्राधिकरण ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2015) कि श्रद्धापुरी योजना पूर्ण रूप से विकसित नहीं है अतः इस योजना की भूमि दर को जिलाधिकारी की दर के अनुसार नहीं निर्धारित किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की आदर्श मार्गदर्शिका (नवम्बर 1999) नगर निगम को हस्तान्तरित योजनाओं पर भी लागू है और प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से पता चलता है कि श्रद्धापुरी योजना नगर निगम को हस्तान्तरित हो चुकी है (फरवरी 2013)।

⁷ स्पोर्ट्स गुड्स काम्प्लेक्स एवं रक्षापुरम योजना पूर्ण रूप से विकसित है तथा श्रद्धापुरी योजना नगर निगम को हस्तान्तरित (फरवरी 2013) की जा चुकी है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित (जून 2015) किया गया, उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2015) है ।

3.3 भुगतान में विफल आबंटियों को अनुचित लाभ

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटन का निरस्तीकरण न किये जाने के कारण भुगतान में विफल आबंटियों को ₹ 3.10 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया ।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) द्वारा उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण वित्त एवं लेखा मैनुअल, 2004 (मैनुअल) के प्राविधान के उल्लंघन में आबंटियों का आबंटन निरस्त न किये जाने तथा वर्तमान मूल्य न लिए जाने के कारण उनको ₹ 3.10 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया ।

मैनुअल (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग), उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी और 1 अप्रैल 2004 से सभी प्राधिकरणों पर प्रभावी) के पैरा 3.3.14 तथा 3.3.15 के अनुसार यदि कोई आबंटी योजना के पंजीकरण/आबंटन के अनुसार देय धनराशि⁸ जमा करने में असफल होता है तो उसका आबंटन निरस्त माना जायेगा और यदि पुर्नःजीवित (जीवित) की इच्छा जतायी जाती है तो भूमि की वर्तमान लागत एवं वर्तमान निर्माण लागत चार्ज की जायेगी ।

हमने देखा (जनवरी 2013) कि प्राधिकरण ने गोरखपुर में प्रस्तावित बहुउद्देशीय व्यावसायिक काम्प्लेक्स के भूतल पर 62 दुकानें आवंटित (9 सितम्बर 2004) किया था । आबंटन के नियम एवं शर्तों के अनुसार अनुमानित लागत का 40 प्रतिशत 30 सितम्बर 2004 तक जमा किया जाना था और शेष 60 प्रतिशत राशि आठ समान त्रैमासिक किस्तों में जमा किया जाना था । आबंटन पत्र में यह भी उल्लेखित था कि यदि आबंटी निर्धारित समय में राशि जमा करने में विफल होता है तो प्राधिकरण के पास उस आवंटन को निरस्त करने तथा उसे पुनः बेचने का अधिकार सुरक्षित होगा । 62 आबंटी में से 49 आबंटी 40 प्रतिशत देय राशि भी निर्धारित समय में जमा करने में असफल रहे । फिर भी प्राधिकरण ने उपर्युक्त 49 आबंटन निरस्त नहीं किये । निर्माण कार्य अक्टूबर 2004 में प्रारम्भ हुआ तथा उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर जाँच कराये जाने के कारण दिसम्बर 2005 से अक्टूबर 2008 के मध्य बाधित रहा ।

मैनुअल के प्राविधान के उल्लंघन में, प्राधिकरण के बोर्ड (बोर्ड) ने प्रारम्भिक आबंटन मूल्य में मात्र 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए उन भुगतान में विफल आबंटियों को दुकानों का कब्जा देने का निर्णय लिया (जुलाई 2010) जिन्होंने देय दिनांक के भीतर आबंटन राशि भी जमा नहीं की थी । प्राधिकरण द्वारा फरवरी 2009 में किये गये आगणन के अनुसार भूमि तथा निर्माण की वर्तमान लागत पुनरीक्षित आबंटन मूल्य ₹ 21,623 प्रति वर्ग मीटर के विरुद्ध ₹ 58,960 प्रति वर्ग मीटर थी । प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये गये दुकान की पुनरीक्षित लागत का अब तक 46 आवंटियों ने पूर्ण भुगतान कर दिया है ।

⁸ यह वह धनराशि है जिसे आवंटी को आवंटन पत्र में तय समय सूची के अनुसार जमा करना होता है ।

प्राधिकरण का यह कार्य उचित नहीं था क्योंकि भुगतान में विफल आबंटियों का आबंटन निरस्त कर देना चाहिए था तथा वर्तमान लागत पर नया आबंटन करना चाहिये था जैसा कि मैनुअल के प्राविधान तथा आबंटन के नियम एवं शर्तों के अनुसार आवश्यक था। इस प्रकार, प्राधिकरण ने आबंटन निरस्त न किये जाने के कारण 49 आबंटियों को ₹ 3.10 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया (परिशिष्ट-3.2)।

उत्तर में, प्राधिकरण और विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि निर्माण कार्य दिसम्बर 2005 से अक्टूबर 2008 के मध्य अवरुद्ध होने के कारण बोर्ड ने पुराने लागत में मात्र 10 प्रतिशत की वृद्धि पर आबंटन करने का निर्णय लिया (जुलाई 2010)। प्राधिकरण का निर्णय उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-7 के अनुसार संगत है जो बोर्ड को किसी सम्पत्ति को, प्राप्त करने, रखने, प्रबन्ध करने तथा उसे निस्तारण करने के लिए प्राधिकृत करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य दिसम्बर 2005 में बंद हुआ था यानि आबंटन राशि जमा करने की देय तिथि से 14 माह बाद। इन 14 माह के दौरान आबंटन न निरस्त किये जाने का औचित्य अभिलेखित नहीं पाये गये। यद्यपि, अधिनियम बोर्ड को सम्पत्ति को निस्तारित करने के लिए प्राधिकृत करता है, परन्तु मैनुअल भी सम्पत्ति को निस्तारित करने के तरीके को बताता है। अतः, बोर्ड का निर्णय मैनुअल के प्राविधान के विरुद्ध था।

वन विभाग

3.4 पट्टा किराया के कम वसूली के कारण हानि

विभाग द्वारा अन्ततिम आधार पर पुरानी दरों पर पट्टा किराया लिए जाने के कारण ₹ 5.83 करोड़ की हानि।

वन विभाग की दो सम्पत्तियों की पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी है और उनके पट्टा अनुबन्धों का नवीनीकरण छः से 12 वर्षों से लम्बित है। वर्ष, जिनमें नवीनीकरण लम्बित है, के भूमि के प्रीमियम वैल्यू के आधार पर पट्टा किराया के स्थान पर अन्ततिम आधार पर पुराने दरों पर ही पट्टा किराया लिए जाने के कारण विभाग को ₹ 5.83 करोड़ की हानि हुई।

उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया (सितम्बर 1999) कि पट्टे पर दी गयी वन भूमि का पट्टा किराया, पट्टे पर दिये जाने वाले वर्ष में प्रचलित भूमि की प्रीमियम वैल्यू का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगा। प्रीमियम वैल्यू का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा घोषित वर्तमान सर्कल दर के आधार पर किया जाता है। अतः यदि पट्टे की अवधि को नवीनीकृत किया जाता है तो पट्टे का किराया उस वर्ष के भूमि के प्रचलित प्रीमियम वैल्यू पर पुनः निर्धारित करना चाहिये जिस वर्ष में पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी हो तथा उसका नवीनीकरण लम्बित हो।

पुनः, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम) की धारा 2(iii) यह बताता है कि "राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी ऐसा आदेश, केवल केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के

बिना, नहीं निर्गत करेगा जिसमें यह निर्देशित हो कि कोई भी वन भूमि या उनका एक हिस्सा पट्टे द्वारा किसी निजी व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम या अभिकरण या किसी अन्य संगठन जो सरकार के स्वामित्व, प्रबन्ध या नियन्त्रित में न हो को हस्तान्तरण की जानी है”।

हमने, वन विभाग के रेनुकूट डिवीजन की लेखा परीक्षा के दौरान देखा (सितम्बर 2014) कि विभाग ने 9.71 हेक्टेयर वन भूमि ₹ 48,000 प्रीमियम वैल्यू तथा ₹ 4,800 प्रति वर्ष पट्टा किराया पर 25 वर्ष हेतु मे0 हिंडालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (कम्पनी) को श्रमिक आवास हेतू पट्टे पर दिया (जून 1978)। उपर्युक्त पट्टा वर्ष 2003 में समाप्त हो गया था तथा कम्पनी ने नवीनीकरण के लिए आग्रह किया (फरवरी 2003)। विभाग ने नवीनीकरण के प्रस्ताव को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (प0व0म0) को अधिनियम की धारा 2 के अनुपालन में अनुमोदन हेतु अग्रेसित किया (मार्च 2009)। प0व0म0 ने 9.71 हेक्टेयर भूमि के पट्टे के नवीनीकरण के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन कुछ शर्तों के अधीन दिया (अप्रैल 2010) जिसमें यह भी शामिल था कि हिण्डालको, उसको दी गई वन भूमि के एवज में, विभाग को समतुल्य गैर-वानिकी भूमि हस्तान्तरित करेगा। 9.71 हेक्टेयर भूमि में से 4.63 हेक्टेयर भूमि अभी भी हिण्डालको द्वारा हस्तान्तरित नहीं की गई है।


इसी प्रकार, एक अन्य 61.24 हेक्टेयर वन भूमि रेनूसागर पावर कम्पनी (हिण्डालको की सहायक) को राख निस्तारण यार्ड के निर्माण हेतु ₹ 4,55,943 के वार्षिक पट्टा किराया पर 10 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया गया। पट्टा जून 2009 में समाप्त हो गया तथा कम्पनी ने नवीनीकरण के लिए आग्रह किया (जनवरी 2009)। विभाग ने अधिनियम की धारा 2 के अनुपालन में नवीनीकरण प्रस्ताव को प0व0म0 को अग्रेसित (जुलाई 2012) किया। प0व0म0 ने उत्तर प्रदेश सरकार से प0व0म0 के नियमानुसार “अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम, 2006 (वन अधिकार मान्यता) के तहत अधिकारों के निराकरण पर प्रतिवेदन” की सूचना मांगी (सितम्बर 2012) जो कि अभी भी लम्बित है। इसके साथ छः शर्तें और भी थीं जिसके अनुपालन की सूचनायें विभाग द्वारा एकत्रित की जा रही हैं।

हमने पुनः, देखा (सितम्बर 2014) कि यद्यपि उपर्युक्त शर्तों के पूरा न होने के कारण दोनो पट्टे अभी तक नवीनीकृत न हो सके एवं वन मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश (जनवरी 2011) के बावजूद, विभाग ने पट्टे को निरस्त नहीं किया तथा प्रयोगकर्ता अभिकरणों से भूमि को वापस नहीं लिया। इसके अतिरिक्त, विभाग अन्ततिम आधार पर पुराने दर पर ही पट्टा किराया लेता रहा बजाये वर्ष जिनमें नवीनीकरण देय है में भूमि की प्रीमियम वैल्यू की दर के आधार पर। यह मई 2015 तक, छः से 12 वर्षों में ₹ 7.16 करोड़ के कम पट्टा किराया आरोपित होने में परिमाणित हुआ **{परिशिष्ट-3.3 (अ)}** एवं पट्टा किराये के कम वसूली पर ₹ 2.41 करोड़ के ब्याज का भी नुकसान हुआ **{परिशिष्ट-3.3 (ब)}**।

उत्तर में, विभाग ने बताया (जून 2015) कि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अन्ततिम आधार पर ₹ 3.80 करोड़ वसूल किये जा चुके हैं। विभाग ने पुनः बताया कि पट्टेधारक को नवीनीकरण प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिये जा चुके हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने अभी भी पट्टा किराया उस भूमि दर पर लिये जाने के सन्दर्भ में जिस वर्ष पट्टा नवीनीकरण के लिए देय है, कोई कार्यवाही नहीं की है। अतः

कम पट्टा किराया की वसूली की रकम बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त, मई 2015 तक कुल संचित रकम ₹ 9.63 करोड़ में से ₹ 5.83 करोड़ अभी भी वसूल की जानी है।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित (जून 2015) किया गया, उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2015) है।




लखनऊ
दिनांक 25 जनवरी 2016

(विनीता मिश्रा)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा),
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 27 जनवरी 2016



(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक